

**कार्यालय विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,
पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना।**

सार्वजनिक सूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा -21 (1) के अधीन)

संख्या - 96 /नवादा, दिनांक- 14.02.2017

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम- रामदासी, थाना- रजौली, थाना नं०- 182, अंचल-रजौली, जिला-नवादा में कुल 5.26 एकड़ यानि 2.1286 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा, - फुलवरिया जलाशय योजना अन्तर्गत पुनर्वास स्थल परियोजना हेतु अर्जित की जा रही है जिसकी घोषणा अधिघोषणा संख्या 83 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा की गई है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	98	728	न्यायालय द्वारा स्वत्व घोषित	गैरमजरू आ मालिक	5.26	बालगोविन्द प्रसाद पिता स्व० पुनीत साव ग्राम+थाना- रजौली, नवादा वर्तमान पता- गोनावा जैन मंदिर रोड, थाना+जिला- नवादा।	प्लॉट नं०- 723, 727, 709	हरदिया थाना नं०- 149,	प्लॉट नं० 729 एवं 733	एन०एच 0- 31

उपरोक्त भूमि में जिन लोगों का स्वार्थ है उनसे आग्रह किया जाता है कि वे 18.03.2017 को 11:30 AM बजे दिन में समाहरणालय, नवादा में भू अर्जन पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता या अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो तथा भूमि में अपने-अपने हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियाँ, भूमि के माप/ क्षेत्रफल के संबंध में उनके आक्षेप तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अपने दावा/ आपत्ति, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें।



विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,
पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना।